राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : ई/चि.अ./ ए–907/2024/ 173 **दिनांक :** 12·6·2024

समस्त संयुक्त निदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए,
जोन –राजस्थान ।

विषयः– आवश्यक अस्थाई आधार एवं एडहॉक आधार पर कार्यरत चिकित्सको के सम्बन्ध मे सूचना हेतु ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य मे तदर्थ आधार पर कार्यरत चिकित्सको की सेवाओ मे दिनांक 31.12.2011 के पश्चात अभिवृद्दि नही किये जाने के पश्चात माननीय न्यायालय के आदेश की पालना मे आपके अधीन संचालित चिकित्सा संस्थानो पर तदर्थ आधार पर कार्यरत चिकित्सको की निम्न सूचना अलिम्ब निदेशालय को भिजवाने का श्रम करे :–

1. तदर्थ आधार पर कार्यरत समस्त चिकित्सकों की सेवाओं में दिनांक 31.12.2011 के पश्चात सेवा अभिवृद्धि नही किये जाने के बावजूद उनकी सेवाएं समाप्त नही किये जाने के कारण एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण किये जाकर औचित्य पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।
2. उक्त चिकित्सकों के नियमन/पेंशन परिलाभ देने से राज्य सरकार पर कितना वित्तीय भार आयेगा की सूचना ।
3. सन्दर्भित सभी चिकित्सको के नियुक्ति आदेश, समय समय पर सेवा अभिवृद्धि के आदेश एवं आज दिनांक तक लगातार सेवा करने सम्बन्धी दस्तावेज/साक्ष्य।

नोट :– उक्त सूचना 07 दिवस मे आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करे ।

अति.निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : ई/चि.अ./ ए–907/2024/ **दिनांक :**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान जयपुर ।
3. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान जयपुर ।
4. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड/ई–मेल कराने का श्रम करे।
5. आदेश/निजी पत्रावली।

अति.निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

RajKaj Ref
7975843

Document certified by RAVI PRAKASH SHARMA <dydrravisharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Ravi Prakash Sharma
Designation : Additional Director
Date :12-06-2024 11:27:11